

उत्तर रेलवे
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
बड़ीदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/54

प.सं. 831-ई/ 6 सी.पी.सी./NHA/ EIV

दिनांक 10/12/2008.

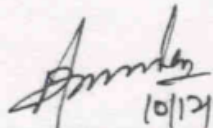
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- National Holiday Allowance - Recommendation of
With CPC - Revision of rates.

रेल मंत्रालय के पत्र सं.E(P&A)I-2008/HL/2 दिनांक 01/12/2008
(आर.बी.ई.सं.190/2008) क्र.सं. पी.सी.-VI No: 54 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के पत्र सं. E(P&A)I-97/HL/2 दिनांक
18/2/98 की प्रतिलिपि मु0क्र0सं0 11542/98 के अन्तर्गत भेजी जा चुकी हैं।

संलग्न/यथोक्त


10/12/2008
(Trilok Choudhari)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

2. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ीदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एनआरएमयू, 12 चेन्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली
3. महासचिव, अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी
लाजपतनगर, नईदिल्ली-24
4. महासचिव, अ0भा0अ0पि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए;3 बसंत लेन नई दिल्ली।



भारत सरकार
रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड)

पी सी-VI सं. 54
आर बी ई सं. 190/08

सं. ई(पी एंड ए)I-2008/एचएल/2

नई दिल्ली, दिनांक 11.12.2008

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.

मु.का.आचि./प्रशा.

उप.मु.का.आचि./आर.

मु.का.आचि.

विषय: राष्ट्रीय अवकाश भत्ता-छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों-दरों में संशोधन।

मंत्रालयों के विशिष्ट भत्तों के संशोधन से संबंधित छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, राष्ट्रपति जी नीचे दिए गए अनुसार राष्ट्रीय अवकाश भत्ते की दरें को सहर्ष संशोधित करते हैं:-

क्र.सं.	पे बैंड में वेतन+ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना के अनुसार ग्रेड वेतन	राष्ट्रीय अवकाश भत्ते की संशोधित दरें
(1)	(2)	(3)
1	7260 तक	170
2	7261-9700	212
3	9701-23730	280

- जब भी कभी संशोधित वेतन संरचना पर देय मंहगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा, इस भत्ते की दरें स्वतः 25% तक बढ़ जाएगी.
- यह आदेश 1 सितम्बर, 2008 से प्रभावी होंगे.
- इस भत्ते को प्रदान करने के लिए बोर्ड के 18.02.1998 के पत्र सं. ई(पी एंड ए)I-97/एचएल/2 में यथाअंतर्विष्ट अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
- इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
- कृपया पावती दें.

(चन्द्र प्रकाश)

संयुक्त निदेशक स्था.(पी एंड ए)
रेलवे बोर्ड.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

3

PC-VI No. 54
RBE No. 92/08

No. E(P&A)-2008/HL/2

New Delhi, dated 11.11.2008.

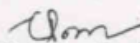
The General Managers,
All Indian Railways/PUs

Sub: National Holiday Allowance – Recommendation of VIth CPC –
Revision of rates.

In pursuance of the decision taken by the Government on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission relating to revision of allowances specific to Ministries, the President is pleased to revise the rates of National Holiday Allowance as under:-

S.No.	Pay in the pay band + grade pay as per VI CPC pay structure	Revised rates of NHA
(1)	(2)	(3)
1	upto 7260	170
2	7261-9700	212
3	9701-23730	280

2. The rates of this allowance will be increased by 25% whenever the Dearness Allowance payable on the revised pay structure goes up by 50%.
3. These orders will be effective from September 01, 2008.
4. The other terms and conditions as contained in Board's letter No.E(P&A)-97/HL/2 dated 18.2.98 for grant of this allowance shall remain unchanged.
5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
6. Please acknowledge receipt.


(Chander Parkash)
Jt. Director Estt.(P&A)
Railway Board.